


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश, कॉलम संख्या-02 में वर्णित आदेशांक/ दिनांक में निम्नानुसार (कॉलम संख्या-06 में उल्लेखितानुसार) आंशिक संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है :-


क्रं.सं	विभाग से जारी पूर्व आदेशांक	नाम कार्मिक मय पद	कहां से	कहां को	आंशिक संशोधन का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	बी-2/45002/प्रधाना-स्थाना/2018 दि 30-05-2018	श्री भूपेन्द्र कुमार सोलंकी, प्रधानाचार्य	राउमावि0 बांट सिराही से	राउमावि खाम्बल सिराही	आदेश की प्रभावी दिनांक 01-07-2018 पढे जाने का आंशिक संशोधन जारी किया जाता है। तदनुसार दिनांक 02-07-2018 तक कार्यग्रहण अनुमत किया जाता है।
2	बी-2/45002/प्रधा डीपीसी/01-02 से 17-18/पदस्थापन/2018 दि 02-06-18	श्री चन्द्र किशोर जूनवाल, व्या0	राउमावि0 बालिका नसीराबाद अजमेर	पदोन्नति पर प्रधानाचार्य राउमावि0 सिघांरा उदयपुर	मूल पदोन्नति आदेश में क्रम सं- 81 के सन्दर्भ में आदेश की प्रभावी दिनांक 01-08-2018 संशोधित की जाती है। तदनुसार दिनांक 02-08-18 तक कार्यग्रहण अनुमत किया जाता है।

उपरोक्त दोनों कार्मिकों के सम्बन्ध में आदेश की प्रभावी दिनांक संशोधित किये जाने के कारण बीच की समयावधि में सम्बन्धित कार्मिक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे। सम्बन्धित जिशिअ0 आदेश की प्रभावी दिनांक से एक-दिवस पूर्व कार्मिक को नव पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जाना भी सुनिश्चित करावें।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/आंशिक संशोधन/2018 दि 05-06-18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही तथा पालनार्थ प्रेषित है :-

- 01 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 02 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
- 03 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
- 04 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
- 05 गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली हेतु।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर